



CPIO ID No. 14-45/2019

Subject: Information sought under RTI Act, 2005.

Sir/Madam,

Please refer to RTI application of Smt.Ashok Kumar Singh (No.1279742/19 dated 31.10.2019) received by transfer from U.S. Ad.IC, in this office on 04.11.2019, under RTI Act 2005, the information received from **Administration Section**, containing 01 page is enclosed herewith for your reference please.

Therefore, you are requested to please acknowledge the receipt and deposit Rs. NIL (@ 2/- per page) to this Tribunal by cash or DD in favor of Accounts Officer, CESTAT, New Delhi.

Note:

- 1. RTI application's replies which are related to outer benches may be gathered form there by filing RTI applications there directly, for facilitation, CPIOs are nominated at all outer benches separately.
- 2. If aggrieved, you may file an appeal under section 19 of RTI Act within thirty days before Hon'ble First Appellate Authority, CESTAT New Delhi.

CESTAT New Delhi Date: 08.11.2019

To

- Sh. Ashok Kumar Singh S/o Sh.Samsher Bahadur Singh Village and Post Office Kasari Block Mawei, Distt. Ayodhya Fezabad-224118 (UP)
- Sh. S. Bhowmick,
 U.S. to the Govt. of India, Ad.1C (CESTAT).,
 M/o Finance, D/o Revenue,
 North Block, New Delhi-110004.

MISINION SECTIONS

MIST COSSERVED SECTIONS

FROM ENCISE & SERVICE TAX

APPRILLATE TRIBUNAL

MEW MELHI-110006

6

F. No. 33/RTI/Misc./CESTAT-ND/Admn.2016 - Vol II मीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, पश्चिमी खण्ड –२, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली 66 CUSTOMS EXCISE & SERVICE TAX APPELLATE TRIBUNAL West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi – 110 066

Dated: 6.11.2019 I.D. No. 14-45/2019

ADMINISTRATION SECTION

Sub: Information sought under Right to Information Act, 2005

With reference to the RTI application Ref. No. 1279742/19 dated 31.10.2019 received by transfer from Under Secretary Ad.1C letter dated 1.11.2019 in CPIO I.D. No. 14-45/2019 (CESTAT), the information sought by the applicant under RTI Act 2005.

In this regard, the point-wise replies are as under:-

Point 1- Two persons have attained superannuation in this Tribunal from 1.06.2019 to 30.09.2019.

Point 2 - Nil.

Point 3 - Not applicable in this case.

(Mohinder Singh)
Deputy Registrar

To

CPIO/Accounts Officer, CESTAT, New Delhi

F. No. 14-45/CESTAT/CPIO-ND/2019 Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi-110 066



CPIO ID No. 14-45/2019

Subject: Information sought under RTI Act, 2005. Sir/Madam,

Please refer to RTI application of Shri/Smt.Ashok Kumar Singh (No.1279742/19 dated 31.10.2019 **received from U.S. Ad-Ic**, in this office on 04.11.2019, under RTI Act 2005 (copy enclosed) wherein certain information are sought as mentioned therein is related to your section.

Therefore, in terms of the provisions of Section 6(3) & 5(4) read with Section 5(5) of RTI Act 2005 the RTI application CPIO ID No. 14-45/2019(CESTAT) is forwarded herewith to you as CPIO under section 5(4), with request to provide the correct and Para wise information/inspection on or before 24.11.2019 directly to the applicant as permissible under the RTI Act & DOP & T. O.Ms within the stipulated time, failing which, as CPIO under section 5(4), you will be responsible for delay/denial and penalty if any, under section 20 of RTI Act. Further requested to follow OM No.12/31/2013-IR dated; 12.02.2013 circulated on 23.05.2013 and O.M. No. 1/18/2011-IR dated 16.09.2011.

Note:-

- 1. If the information is not available with your section and you, if have knowledge, please reply from where it may be retrieved, without delay within 05 days.
- 2. RTI application's replies which are related to outer benches may be gathered form there by filing RTI applications there directly, for facilitation, CPIOs are nominated at all outer benches separately.
- 3. Provide the requisite information, directly to the applicant or to the RTI section, if not claiming any exemption, subject to the provisions of the Act and the rules made there under, under intimation to the undersigned.

Encl: As above.

For Compliance to:

Administration Section

Copy to: (For Information)

- Sh. Ashok Kumar Singh S/o Sh.Samsher Bahadur Singh Village and Post Office Kasari Block Mawei, Distt. Ayodhya Fezabad-224118 (UP).
- Sh.S.Bhowmick,
 U.S. to the Govt.of India,Ad.-IC(CESTAT),
 M/o Finance D/o Revenue,
 North Block,New Delhi-110004.

5.11.19.

Date: 05.11.2019

1.D. / 14-45/19

आरटीआई मामला

फाइल संख्या/: आर-20011.143.2019- ए. डी.1सी (सेस्टेट)

भारत सरकार वित्त मत्रांलय राजस्व विभाग (1)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 01 नवंबर, 2019

सेवा में,

केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी सेस्टेट , पश्चिम ब्लॉक न. 2 आर के पुरम, नई दिल्ली- 66

विषय : सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, श्री अशोक कुमार सिंह से प्राप्त आरटीआई आवेदन, दिनांकित 04.10.2019 के सन्दर्भ में ।

Pg~

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर राजस्व विभाग के आरटीआई सेल से प्राप्त कार्यालय जापन संख्या 1279742/2019-आरटीआई सेल ,दिनांकित 31.10.2019 तथा इसके साथ संलग्न श्री अशोक कुमार सिंह के आरटीआई आवेदन, दिनांकित 04.10.2019 को देखें। आवेदन में मांगी गयी सुचना आपके कार्यालय से संबंधित हैं, इसलिए सुचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आपको उक्त आवेदन हस्तांतिरत किया जाता है। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित जानकारी सीधे आवेदक को प्रदान की जाये।

संलग्न : उपरोक्त अनुसार


भवदीय

(शमीक भौमिक)

केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी

फोन : २३०९५३५९

प्रतिलिपि : श्री अशोक कुमार सिंह, पुत्र श्री शमशेर बहादुर सिंह, ग्राम वा पोस्ट - कसारी, ब्लॉक मवाई - जिला अयोध्या , फैज़ाबाद - 224118 : सूचनार्थ हेतु ।





लोक नायक भवन, खान मार्केट 511, पांचवा तल, ए विंग, नई दिल्ली दिनांक 28.10.2019

कार्यालय जापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत माननीय वित्त मंत्री के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को अग्रेषित किए जाने के संबंध में।

अधोहरूताक्षरी को माननीय वित्त मंत्री के कार्यालय से दिनांक 28.10.2019 को इस विभाग के आरटीआई प्रकोष्ठ में प्राप्त निम्नलिखित मूल आरटीआई आवेदनों को मंत्रालय के संबंधित विभाग को अग्रेषित किए जाने के लिए संलग्न करने का निदेश हुआ है। चूंकि आरटीआई आवेदन की विषय-वस्तु संबंध D/o Revenue से है, इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तांतरित किया जाता है। D/o Revenue के आरटीआई मामलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में यह अन्रोध किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार इसकी उचित पावती भेजी जाए।

क्र. सं.	नाम और पता	आवेदन की तारीख	वित्त मंत्री कार्यालय की डायरी संख्या
1.	श्री अशोक कुमार सिंह,	04.10.2019	डायरी संख्या- 1279742/एफएम
	पुत्र श्री शमशेर बहादुर सिंह,		/आइएमपी/2019 तिथि 24.10.2019
	ग्राम व पोस्ट - कसारी, ब्लॉक मवाई		
	जिला अयोध्या, फैजाबाद - 224118		

वित मंत्रालिश / Ministry of Finance. TIME BOUND THE Thepartment of Revenue · yallet IRTI Cell

(श्रीमति दिनेश शर्मा)

अनुभाग अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोध

दूरभाष: 24654593

राघवेंद्र सिंह कुशवाह, अवर सचिव (आर.टी.आई.) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

11 a d G RE 2 (31 R. 24. 24 R.)
313. 31 Febr. (31 R. 24. 24 R.)

US (Ad.I) US (Ad.IALB) US (CACAR)

जन सूचना अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—6 (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में

O, RT LEXI

जन सूचना अधिकारी / वित मंत्रालय भारत सरकार। नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।

- 1. आवेदक का नाम -अशोक कुमार सिंह ।
- 2. पिता / पति का नाम-श्री शमशेर बहादुर सिंह।
- 3. पता- ग्राम व पोस्ट कसारी, ब्लाक मवई जिला अयोध्या / फैजाबाद ।
- 4. ई-मेल पता- नही
- 5.दूरभाष संख्या और / या मोबाइल संख्या-9793140957 ।

6 मांगी गयी सूचना का ब्यौरा-

बिन्दु 1- जून 2019 से लेकर सितम्बर 2019 तक किन-किन अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की गयी है। छायाप्रति देने का कष्ट करें। बिन्द 2-उपर्युक्त अधिकारियों / कर्मचारियों से कौन-कौन सी संपत्ती बरामद की गयी। छायाप्रति देने का कष्ट करें।

बिन्द् 3- बरामद संपत्ती की वर्तमान स्थिति का विवरण देने का कष्ट करे।

7. वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बंधित है:हॉ / नहीं — नहीं

8. जमा की गयी फीस का ब्यौरा— आवेदन शुल्क हेतु पोस्टल आर्डर431. एफ 76.3352

9. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) की श्रेणी का है? इंट्रिंग नहीं —

10.संलग्नको की सूची— 1 (एक)पोस्टल आर्डर 43F 763352 सेलाउनहैं।

स्थान–फैजाबाद । दिनांक–04–10–2019 । अविदक के पूर्ण हस्ताक्षर

010 Rovernie One 28/10/2019 80 CRTH) (18/7)/2019-REF DY NO/279742 FM/NNP/2019